कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 206/2026 **प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़** दिनांक- 30.05.2026

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ जान से मारने की नियत से हमला करने वाले 05 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

☐ घटना में प्रयुक्त 03 अदद बांस के डंडे बरामद

जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गम्भीरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-135/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/132/3(5) बीएनएस से संबंधित 05 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 29.05.2026 को ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच लाठी-डंडों से मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई थी। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दोनों पक्ष आपस में मारपीट कर रहे थे तथा पुलिस द्वारा समझाने-बुझाने पर भी कार्य सरकारी में बाधा उत्पन्न कर रहे थे। घटना के संबंध में थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-135/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/132/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष गम्भीरपुर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 30.05.2026 को उमरीश्री पुलिया के पास से उक्त अभियोग में वांछित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 03 अदद बांस के डंडे भी बरामद किए गए।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :

1. शमसु पुत्र मुख्तार निवासी ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
2. अबुशाद पुत्र अलीशेर निवासी ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
3. अमन पुत्र दयाराम निवासी ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
4. अनिल पुत्र सुबेदार निवासी ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।
5. अंगद पुत्र श्री कुबेर निवासी ग्राम अमौड़ा थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरण :

• घटना में प्रयुक्त 03 अदद बांस के डंडे।

पंजीकृत अभियोग :

• मु0अ0सं0-135/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3)/132/3(5) बीएनएस, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :

1. उ0नि0 अश्वनी कुमार मिश्रा, चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार, थाना गम्भीरपुर।
2. का0 सुरेश राजभर, थाना गम्भीरपुर।
3. रि0का0 रुद्र प्रताप सिंह, थाना गम्भीरपुर।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

□ मारपीट एवं जानलेवा हमले के मुकदमे में 04 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

□ घटना में प्रयुक्त 02 डंडे व 01 ईंट बरामद, थाना फूलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना फूलपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। मारपीट, जानलेवा हमला एवं धमकी देने की घटना में वांछित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे/निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 02 डंडे एवं 01 ईंट बरामद की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण :

दिनांक 29.05.2026 को थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-184/2026, धारा 109(1), 115(2), 351(3) एवं 352 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम खानपुर चितरावल में पूर्व में हुए मजाक को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। दिनांक 28.05.2026 की रात्रि में विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों द्वारा लाठी-डंडों से एक-दूसरे पर हमला किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। घटना में दीपक एवं मोनू को गंभीर चोटें आई थीं। ग्रामीणों के हस्तक्षेप से स्थिति को नियंत्रित किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए दिनांक 29.05.2026 को समय करीब 23:15 बजे ग्राम खानपुर चितरावल से चारों वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण :

1. धर्मेन्द्र पुत्र राजकुमार, निवासी फरहा मऊ थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ (हाल पता- ग्राम खानपुर चितरावल, थाना फूलपुर)।
2. दीपक पुत्र भारत, निवासी ग्राम खानपुर चितरावल, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
3. मोनू पुत्र घनश्याम, निवासी ग्राम खानपुर चितरावल, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
4. चन्दन पुत्र घनश्याम, निवासी ग्राम खानपुर चितरावल, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी :

• घटना में प्रयुक्त 02 डंडे।

• घटना में प्रयुक्त 01 ईंट।

पंजीकृत अभियोग :

• मु0अ0सं0-184/2026, धारा 109(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास :

1. दीपक पुत्र भारत

• मु0अ0सं0-184/2026, धारा 109(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस।

• मु0अ0सं0-374/2025, धारा 115(2)/351(3)/352 बीएनएस।

2. मोनू पुत्र घनश्याम

• मु0अ0सं0-184/2026, धारा 109(1)/115(2)/351(3)/352 बीएनएस।

• मु0अ0सं0-17/2024, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना फूलपुर।

• मु0अ0सं0-67/2016, धारा 323/324/504/506 भादवि।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :

1. देवेन्द्र प्रताप सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना फूलपुर।
2. विजय सिंह गौड़, वरिष्ठ उपनिरीक्षक।
3. हे0का0 दीपक पाण्डेय, का0 रोहित शर्मा, रिक्रूट आरक्षी सिकन्दर कुशवाहा, म0का0 शिल्पी सिंह।
4. रिक्रूट म0का0 संध्या तिवारी।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़
□ गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार
□ मोबाइल चोरी करने वाले संगठित गिरोह के सदस्य पर पुलिस की प्रभावी कार्रवाई

जनपद आजमगढ़ में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बिलरियागंज पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। दिनांक 29.05.2026 को थाना बिलरियागंज पुलिस टीम द्वारा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा वांछित अपराधियों की तलाश के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त **मो. गुड्डू पुत्र मो. हाशिम निवासी ग्राम अलाउद्दीनपट्टी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़** को गुलवा गौरी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

उक्त अभियुक्त मोबाइल चोरी करने वाले एक संगठित गिरोह का सक्रिय सदस्य है। गिरोह द्वारा चोरी की घटनाओं के माध्यम से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित कर लोक व्यवस्था एवं सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया जा रहा था। गिरोह के विरुद्ध थाना बिलरियागंज पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की गई थी, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :
• मो. गुड्डू पुत्र मो. हाशिम, निवासी ग्राम अलाउद्दीनपट्टी, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
पंजीकृत अभियोग :
• मु0अ0सं0 143/2026 धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
आपराधिक इतिहास :
1. मु0अ0सं0 176/2016, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना बिलरियागंज।
2. मु0अ0सं0 289/2023, धारा 379/411 भादवि, थाना बिलरियागंज।
3. मु0अ0सं0 394/2023, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना बिलरियागंज।
4. मु0अ0सं0 276/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज।
5. मु0अ0सं0 277/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज।
6. मु0अ0सं0 278/2024, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस, थाना बिलरियागंज।
7. मु0अ0सं0 143/2026, धारा 2(ख)(i)/3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट, थाना बिलरियागंज।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :
1. अमित कुमार मिश्र, थानाध्यक्ष बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 गांधी यादव, थाना बिलरियागंज।
3. का0 छट्ठू साहनी, थाना बिलरियागंज।
4. रि0का0 कुलदीप पाण्डेय, थाना बिलरियागंज।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक : 30.05.2026, जनपद : आजमगढ़

□ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने थाना जीयनपुर परिसर में पुलिस परिवार आवास का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया

□ भूमि पूजन के उपरांत थाना जीयनपुर का औचक निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा-निर्देश

➡□ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में आज दिनांक 30.05.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन द्वारा थाना जीयनपुर परिसर में पुलिस परिवार आवास के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया।

➡□ थाना जीयनपुर परिसर में पुलिस कर्मियों एवं उनके परिवारों के लिए **02 BHK आवासीय सुविधाओं से युक्त 07 मंजिला आधुनिक भवन** का निर्माण कराया जाएगा। निर्माणाधीन पुलिस आवास में शौचालय सहित अन्य आवश्यक एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे पुलिस कर्मियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं प्राप्त होंगी।

➡□ भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान क्षेत्राधिकारी सगड़ी अनिल कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष जीयनपुर सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारीगण एवं क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

➡□ भूमि पूजन कार्यक्रम के उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा थाना जीयनपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, कार्यालय, अभिलेखों, साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए तथा जनसुनवाई एवं अपराध नियंत्रण संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 30.05.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को धोखाधड़ी करने के आरोप में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए **7 वर्ष के कारावास व 91 लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना फूलपुर में पंजीकृत अपराध धोखाधड़ी करने के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को 7 वर्ष के कारावास व 91 लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 07.12.2010 को वादी मुकदमा इमरान अहमद पुत्र इस्तयाक अहमद निवासी टेहुआ थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त सुबाष चौबे पुत्र रामनयन चौबे निवासी गम्भीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मुझसे छल कपट एवं कूट रचना के माध्यम से 1 करोड़ 24 लाख रुपये प्राप्त कर गम्भीर आर्थिक क्षति पहुचाना ।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0-1255/2010 धारा-419,420,467,468, 471,504,506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त मे 8 गवाह परीक्षित हुए।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 30.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0-11 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त सुबाष चौबे पुत्र रामनयन चौबे निवासी गम्भीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 7 वर्ष के कारावास व 91 लाख रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**